डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/1581/2022
दिनांकः....30.06.2022

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
के0डी0 मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
मथुरा।

महोदय,

सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, फेस–1, नई दिल्ली के पत्र संख्याः No.NMC/MCI-34(41)(R-96)/2019- Med./2187 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चिकित्सा शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0बी0बी0एस0 (150 सीट) पाठ्यक्रम/विषयों में सत्र 2016–17 हेतु पत्र संख्या–सम्बद्धन/वी0सी0/1207/17 दिनांक 09.10.2017 के द्वारा एक वर्ष का सम्बद्धता विस्तारण प्रदत्त किया गया था तथा सत्र 2017–18 हेतु पत्र संख्या–सम्बद्धन/7541/18 दिनांक 19.09.2018 के द्वारा एक वर्ष हेतु तथा सत्र 2019-20 हेत पत्र संख्या-सम्बद्धन/427/2020 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा एक वर्ष हेतु तथा सत्र (2020-21) (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक) एक वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

उक्त संस्थान को सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित कमियों के साथ सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी हैं, जो निम्न प्रकार हैंः–

1. **शिक्षकों का वेतन भुगतान का प्रमाण बैंक द्वारा मूल रूप से प्रमाणित नहीं हैं। 2. प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र संलग्न नहीं हैं। 3. सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न नहीं हैं।**

उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र अनुसचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, फेस–1, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

(1) This permission of the Central Government is accorded initially for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to the verification of the achievement of annual targets as indicated in the scheme submitted by the institute and regulations made in this regard. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of medical college and expansion of hospital facilities are completed.
(2) The applicant should provide all infrastructural facilities in terms of teaching and non-teaching staff, building, equipment and hospital facilities as per Medical Council of India norms as notified from time to time.
(3) The applicant should provide requisite Bank-Guarantee and other document as per IMC Act, 1956 & Regulations framed thereunder directly to the MCI.
(4) Admissions made in violation of the above conditions will be treated as irregular and shall be laible for action under IMC Act, 1956 & Regulations made there under.

यदि प्रबन्धतंत्र उपरोक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1– सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, फेस–1, नई दिल्ली।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
4– निजी सचिव कुलपति ।
5– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
6– अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।
7– बेवसाइट प्रभारी।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner